

नवभारत टाइम्स

T Faridabad

पानी की बर्बादी रोकने के लिए डीसी ने दिया निर्देश

गाड़ी धोने पर कटेगा पानी का कनेक्शन

वरिष्ठ संवाददाता || सेक्टर 12

पानी की बर्बादी को रोकने और गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए शनिवार

**पहली बार पकड़े जाने पर
500, दूसरी बार 1000
का होगा जुर्माना**

को डीसी प्रवीण कुमार ने अधिकारियों की मीटिंग ली। पानी को लेकर उनका रुख सख्त दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पाइप की बौछार से गाड़ी धोने वालों के न केवल चालान किए जाएं, बल्कि यदि एक ही व्यक्ति

बार-बार यही हरकत करता मिले तो उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। डीसी ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर निगम और हूडा के

अफसरों से उन्होंने कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्र में तय करें कि लोग पाइप लगाकर गाड़ी धोने की आदत से बाज आएँ। इसमें पुलिस अधिकारी उनकी मदद करें। यदि कोई पाइप लगाकर गाड़ी धोते हुए पाया जाए,

तो पहली बार में उसका 500 रुपये का चालान किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 हजार रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। उन्होंने हूडा और नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में कोताही न बरती जाए, वरना संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त ने गाड़ी धोने के लिए जगह-जगह चल रहे सर्विस स्टेशनों की लिस्ट भी तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि हर थाने और चौकी के अफसर अपने-अपने क्षेत्र में सभी तरह के सर्विस स्टेशन की सूची बनाएं। सर्विस स्टेशनों पर लगाए जाएंगे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट

▶▶ पेज-2



5 बिजली शिकायत केंद्र
12, 0129-24403
2440352
अस्पताल
अस्पताल : 921215
अस्पताल : 4090
डॉक्टर नंबर : 24118
2000691